CNR NO.– UPGZ01–006380–2022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या संख्या–13,गाजियाबाद।

उपस्थित–सौरभ गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O Code– 2757

सत्र परीक्षण संख्या–244/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–998/2022)

राज्य बनाम आयशा आदि

मुकदमा अपराध संख्या–877/2021

धारा–147,302,201,506 भा०दं०सं०

थाना–मुरादनगर, जिला गाजियाबाद।

उपस्थितः–

1. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री विरेश त्यागी

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–9 ख

दिनांक 22–08–2023

1– पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण आयशा कमर हसनैन जेल से व अभियुक्तगण मुंजरिन, उस्मान, जुबैर व जीशान जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित। साक्षी वाजिद साक्ष्य हेतु उपस्थित। अभियोजन की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज संख्या–09 ख वास्ते पत्रावलियों के समेकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें आज की तिथि वास्ते साक्ष्य नियत है, परन्तु उक्त सत्र परीक्षण के अन्य सहअभियुक्तगण की अन्य एस.टी. संख्या 477/2023 बनाम आरिफ आदि अंतर्गत धारा 506 भा०दं०सं० न्यायालय में विचाराधीन है, जो मु०अ०सं० 877/2021 से संबंधित है। उक्त दोनों सत्र परीक्षण पत्रावलियों को एकजायी किया जाकर साक्ष्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। न्यायहित में उपरोक्त अपराध संख्या 877/2021 से संबंधित मुख्य सत्र परीक्षण संख्या 244/2022 बनाम आयाशा आदि को लीडिंग पत्रावली के साथ एस.टी. संख्या 477/2023 बनाम आरिफ आदि को इकजाई किया जाकर साक्ष्य कराने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

3– पत्रावली के अवलोकन से विदिति है कि सत्र परीक्षण संख्या 477/2023 राज्य बनाम आरिफ आदि मु०अ०सं० 877/2021 अंतर्गत धारा 506 भा०दं०सं० थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद प्रस्तुत मामले में वर्णित घटना से संबंधित है। दोनों सत्र परीक्षण पत्रावलियाँ एक ही मुकदमा अपराध संख्या 877/2021 में वर्णित घटना से संबंधित विषयवस्तु हैं व दोनों अभियोगों में आरोप–पत्र के सूची गवाहान/ साक्षीगण भी वही हैं जिस कारण उपरोक्त दोनों पत्रावलियों का संयुक्त विचारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विचारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पत्रावलियों को एकजायी किया जाता है।

4– सत्र परीक्षण संख्या 244/2022 राज्य बनाम आयशा आदि अंतर्गत धारा 147,302,201,506 भा०दं०सं०, थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद की पत्रावली लीडिंग पत्रावली होगी और इसमें दिये गये साक्ष्य को सत्र परीक्षण संख्या 477/2023 राज्य बनाम आरिफ आदि अंतर्गत धारा 506 भा०दं०सं० थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद में पढ़ा जायेगा और उक्त दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही साक्ष्य से किया जायेगा। मूल बयान लीडिंग पत्रावली में रखे जायें व संबंधित पत्रावलियों में छायाप्रतियाँ बयान व दाखिल दस्तावेज रखे जायें।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०–13, गाजियाबाद।